

विचार बिन्दु

बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सबसे आगे सोचो, विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। -धीरुभाई अंबानी

तीन नए कानून - राहत या आफत ?

1

जुलाई 2024 से भारत में न्याय प्रक्रिया से संबंधित तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। इन्हें 25 फरवरी, 2023 को राष्ट्रदूत की सहमति प्राप्त हुई थी। ये कानून भारतीय दंड संविधान 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय न्याय अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। नए कानूनों का मुख्य देखरेय यह था कि विशेष काल के ऑपरेशनिंग्स के स्थान पर लाए गए हैं। नए कानूनों का मुख्य देखरेय यह था कि विशेष काल के लिए, अधिक उत्तराधिकार कानून बनाए जाएं। एक जेस्यू यह भी था कि न्यायालय में चरने वाले प्रक्रियों में अतिरिक्त विलोप को देखते हुए प्रक्रिया में बदलाव किया जाए ताकि नागरिकों को न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय, बिना परेशानी के समय पर मिल सके।

सरकार, नए कानूनों को बहुत प्रतिरोधील एवं नागरिकों के लिए बहुत बहुत करने वाले कई समाजिक व्यक्तिगतीय एवं अधिकारियों द्वारा विशेष कानूनों के लिए बहुत करने वाले रहे हैं।

अब हम नए कानूनों के जननाते हैं कि जननाते हैं तो उसे प्रभाव लाना का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।

यह उल्लेखनीय है कि जननाते को उस समय संसद द्वारा प्राप्त किया गया था कि जन लोकसभा के 146 विधायी संसदों को सदन से निर्वाचित कर दिया गया था। इस कारण, इन महत्वपूर्ण कानूनों पर, जिन्होंने विस्तृत बहस संसद में होनी चाहिए थी, वह विकल्प नहीं हुई। सरकार द्वारा बहुत मत के बल पर ये कानून बिना द्वायांकित चर्चा के अनुरूपीदार करा दिए गए।

पहले हम नए कानून के द्वारा जनहित हैं तब उन्हें बहुत छाप व्यवधानों पर प्रकाश डालेंगे।

नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि विशेष घटना की जियो एक अई और किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे घटना कीही भी घटित क्यों न हुई हो? 15 दिन के अंदर इसे संबंधित थाना अधिकारी को भिजवा दिया जाएगा। इसका प्रभाव यह होगा कि जिस व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होगी, तो उसे जिसी भी थाने द्वारा एक अई और दर्ज करने से मना नहीं किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में यह बोनी व्याधिकार के विवाद में बताया गया है।

कुछ छोटे अपराधों में, जिन पर साक्षात् करने का प्रावधान किया गया है। यह किसी छोटे अपराध करने का बहुत बाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने वाला अच्छा सुधारात्मक कदम कहा जा सकता है।

जिन व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और जो अंडर द्याल की तरह जेल में बढ़ते हैं, उन्हें संबंधित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा प्राप्त किया गया था। इसके अपराध के अंदर इसे संबंधित थाना संकायात्मक प्रावधान के अंतर्गत न्याय, बिना परेशानी के समय पर मिल सकता है।

कोई गंभीर अपराधों में जिन पर साक्षात् करने का प्रावधान किया गया है। यह किसी छोटे अपराध करने का बहुत बाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने वाला अच्छा सुधारात्मक कदम कहा जा सकता है।

योगी लिंगिंग को कोई उल्लेख पुरुष का कानून नहीं था, और इसे अलग अपराध मानते हुए इसके लिए मूल्युन्डं तक का प्रावधान किया गया है। इस कड़े प्रावधान के कारण संभावना है कि आगे वाले समय में भी भीड़ द्वारा किया गया है।

न्यायिक प्रबलणों में व्याख्या स्तरों पर निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की गई है, जैसे पुलिस को चार्चासी, न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु 30 दिन का अधिकतम समय दिया गया है। बहस सुनने के बाद 15 दिन में फैसला सुनाया जाएगा।

उपरोक्त विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकारकाओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से लूप में घूस लेंगे।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ योन अपराध, बलाकार, गैरप्रेरणा आदि के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। नई कानून के आशंकासन देकर या थारी के नाम पर थोड़े में रुक्कर किसी महिला से यौन संबंध करने के लिए न्यायालय के अनुसार, प्रस्तावना के अंतर्गत आपराध का आवश्यक था। इससे जेतों में बंद कई कियों को राहत मिलेंगी और जेतों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी।

कोई गंभीर अपराधों में जैसे बालकों के साथ योन अपराध, बलाकार, गैरप्रेरणा आदि के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। यह किसी छोटे अपराध करने का बहुत बाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने के लिए न्यायालय के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है।

योगी लिंगिंग को कोई उल्लेख पुरुष का कानून नहीं था, और इसे अलग अपराध मानते हुए है। इसके लिए न्यायालय के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ योन अपराध के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है। यह किसी छोटे अपराध करने का बहुत बाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने के लिए न्यायालय के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है।

योगी लिंगिंग को कोई उल्लेख पुरुष का कानून नहीं था, और इसे अलग अपराध मानते हुए है।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ योन अपराध के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है। यह किसी छोटे अपराध करने का बहुत बाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने के लिए न्यायालय के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है।

योगी लिंगिंग को कोई उल्लेख पुरुष का कानून नहीं था, और इसे अलग अपराध मानते हुए है।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ योन अपराध के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है। यह किसी छोटे अपराध करने का बहुत बाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने के लिए न्यायालय के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है।

योगी लिंगिंग को कोई उल्लेख पुरुष का कानून नहीं था, और इसे अलग अपराध मानते हुए है।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ योन अपराध के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है। यह किसी छोटे अपराध करने का बहुत बाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने के लिए न्यायालय के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है।

योगी लिंगिंग को कोई उल्लेख पुरुष का कानून नहीं था, और इसे अलग अपराध मानते हुए है।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ योन अपराध के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है। यह किसी छोटे अपराध करने का बहुत बाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने के लिए न्यायालय के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है।

योगी लिंगिंग को कोई उल्लेख पुरुष का कानून नहीं था, और इसे अलग अपराध मानते हुए है।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ योन अपराध के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है। यह किसी छोटे अपराध करने का बहुत बाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने के लिए न्यायालय के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है।

योगी लिंगिंग को कोई उल्लेख पुरुष का कानून नहीं था, और इसे अलग अपराध मानते हुए है।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ योन अपराध के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है। यह किसी छोटे अपराध करने का बहुत बाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने के लिए न्यायालय के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है।

योगी लिंगिंग को कोई उल्लेख पुरुष का कानून नहीं था, और इसे अलग अपराध मानते हुए है।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के साथ योन अपराध के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है। यह किसी छोटे अपराध करने का बहुत बाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधान करने का अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने के लिए न्यायालय के अंदर इसे अलग अपराध मानते हुए है।

योगी लिंगिंग को कोई उल्लेख पुरुष का कानून नहीं था, और इसे



Pacific Medical University, Udaipur

(Established by the Rajasthan state legislative assembly by an Act No. 6 of 2014 dated March 04, 2014 & approved under section 2(f) of the UGC Act, 1956)



DISCOVER YOUR FUTURE WITH PMU

Pacific Medical University brings you a brilliant opportunity to make a career in medical profession. Enroll Now.

Take care of those who need the care most.

Take care of your career.

**100%
JOB
ASSURANCE**

**ADMISSION
OPEN 2024-25**

COURSE OFFERED



PACIFIC DENTAL COLLEGE & RESEARCH CENTER

BDS 4 Year

Eligibility : 10+2 in PCB & NEET

MDS 3 Years

Eligibility : BDS & NEET

PACIFIC COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY

B.P.T. 4 Years

Eligibility : 10+2 in (PCB)

M.P.T. 2 Years

Eligibility : B.P.T. with minimum 50% marks

MEDICAL & ALLIED

M.Sc. in Medical 3 Years

- Anatomy ▪ Physiology ▪ Microbiology
- Biochemistry ▪ Pharmacology

Eligibility : MBBS, BDS, BPT, BOT, BSLP, B.Pharma, B.Sc.

M.Phil Clinical Psychology 3 Years

Eligibility : MBBS, BDS, BPT, BOT, BSLP, B.Pharma, B.Sc.

FACULTY OF LIFE SCIENCE

B.Sc. in Clinical Embryology 3 Years

Eligibility : 10+2 Class with PCB

M.Sc. in Clinical Embryology 4 Sem.+

1 Year Internship

Eligibility: B.Sc. in any discipline of Life Sciences, Biosciences, Bachelor's degree in any of Physic, Biological Sciences, M.B.B.S, BDS, BAMS, BHMS, B.Pharma.

TIRUPATI SCHOOL OF NURSING

GNM 3 Years

Eligibility : 10+2 in (PCB)

PACIFIC COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPY

BOT 4 Years + 6 Months Internship

Eligibility : 10+2 in (PCB)

MOT 2 Years

Pediatrics, Neuroscience, Mental Health, Orthopedics, Hand Rehabilitation

Eligibility : Passed BOT with minimum 50% marks

PH.D. & RESEARCH PROGRAMME

Minimum 3 Years

Eligibility : Post Graduation with 55% marks

1. Ph.D. (Medical)

2. Ph.D. (Nursing)

3. Ph.D. (Physiotherapy)

4. Ph.D. (Dentistry)

5. Ph.D. (Clinical Embryology)

6. Ph.D. (Clinical Psychology)

7. Ph.D. (Occupational Therapy)

8. Ph.D. (Paramedical Sciences)

PACIFIC COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES

DIPLOMA Duration : 2 Year

Eligibility : 10+2 in PCB/PCM- Guidelines as per RPMC

1. Medical Laboratory Technology

2. Radiation Technology

3. Operation Theater Technology

4. Cath Lab. Technology

5. Orthopedic Technology

6. Dialysis Technology

7. Emergency & Trauma Care Technology

8. ECG Technology

9. Blood Bank Technology

10. Endoscopy Technology

11. EEG Technology

12. Ophthalmic Technology

BACHELOR Duration : 3 Year + 1 Year

Eligibility : 10+2 in PCB/PCM- Guidelines as per RPMC

1. Medical Laboratory Technology

2. Radiation / Medical Imaging Technology

3. Ophthalmic Technology

4. Operation Theater Technology

5. ECG Technology

6. Endoscopy Technology

7. Emergency & Trauma Care Technology

8. Dialysis Technology

9. EEG Technology

10. Orthopaedic Technology

For More Detail 7877936755

PACIFIC MEDICAL UNIVERSITY, UDAIPUR

Bhilo ka bedla, (Amberi) Udaipur, Rajasthan | Ph. Contact : +91 9672978095, 9587892883

info@pacificmedicaluniversity.ac.in

www.pacificmedicaluniversity.ac.in

